A guide for women working in Srijan Foundation

Coordination Office:
Srijan Foundation, Flat 202, Prithivi Homes, Dipatoli Bandhgadi, Near Gate No. 1, Ranchi- 834009, Jharkhand.
Email: grcsrijan@gmail.com
Contact no. : 9431141046/ 9472751906

Head Office:
Srijan Foundation, Flat no. 106, Bijoy Enclave, Heerabag Chowk, Hazaribag- 825301, Jharkhand

Website: www.srijanjhk.org
Email: srijanfoundation@gmail.com
Contact no. : 06546- 270523/ 263787

पृष्ठभूमि

सृजन फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है जो महिला एवं बच्चों को अपने केंद्र में रखकर कार्य करती है. वर्ष 2001 में स्थापित यह संस्था महिला मुद्दे पर कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है. संस्था अपने बदलते स्वरुप में महिलाओं के औचित्य एवं गरिमा प्रदान करने के लिए कृत-संकल्पित है. सभी आयामों में लिंग समानता एक बुनियादी मानवाधिकार है | भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को समानता का अवसर और गारंटी देता है |

- संविधान प्रत्येक नागरिकों को किसी भी व्यवसाय का अभ्यास करने या व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है |
- महिलाओं के प्रति होने वाला यौन उत्पीड़न जैसे मामले संविधान द्वारा प्राप्त अनुच्छेद 14 और 15 के अनुसार उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक असुरक्षित और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाता है | जिससे कार्य में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित किया जा रहा है जो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं |

भारत के पहले विशेष कानून के रूप में कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न का मुद्दा था जो 2013 में अधिनियमित हुआ | कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से प्रभावी बनाया गया है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 दिसंबर, 2013 को लागु किया गया |

समिति की जरुरत क्यों?

सृजन फाउंडेशन वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से 7 जिलों और अप्रत्यक्ष रूप से पुरे झारखण्ड राज्य में कार्य कर रहा है. महिलाओं के अधिकार एवं सशक्तिकरण के लिए राज्य की अग्रणी संस्था के रूप में पहचान भी बना चुकी है. स्वरुप परिवर्तन के साथ संस्था में महिला प्रतिनिधित्व भी बढा है, इस परिपेक्ष में संस्था के मूल्यों तथा महिलाओं के प्रति प्रतिबध्ताओं को मूर्त करने के लिए एक समिति का होना आवश्यक ही नही अनिवार्य है. महिला समुदाय के हितों की रक्षा और उनके गरिमा को सुनिचित करने के लिए समिति का गठन किया गया है जो यौन उत्पीड़न, शोषण, हिंसा आदि पर करवाई सुनिश्चित करेगा.

किस पर लागू होगा?

यह नियमावली संस्था में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े उन सभी व्यक्तियों पर लागु होगा, जो संस्था के लिए अपनी सेवा या संस्था से जुड़कर कार्य कर रहे हैं. इस नियमावली के अंतर्गत संस्था के उच्च पदाधिकारी से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एवं अन्य सम्बंधित व्यक्ति शामिल किये गए हैं. मुख्य रूप से निम्न व्यक्ति शामिल हैं:-

- नियमित, अस्थाई, एडहोक कर्मचारी |
- सीधे, एजेंट या ठेकेदार के माध्यम से |
- पारिश्रमिक के साथ या बिना एवं स्वैच्छिक |
- प्रोबेशनर / अपरेंटिस /student Interns

कार्यस्थल या कार्य-क्षेत्र

“कार्यस्थल” का तात्पर्य किसी भी स्थान पर कर्मचारी का आना, नियोजन के दौरान या किसी कार्य के उदेश्य से संस्था द्वारा प्रदान परिवहन में एक स्थान से दुसरे स्थान में आन - जाने के क्रम में हो सकता है| इसके अलावा महिला समूह/समिति के साथ क्षेत्र में बैठक या कार्यक्रम, महिला समूह का संस्था के कार्यक्रमों में भागिदारी करने के क्रम में, कार्यालय परिसर एवं कार्यक्रम स्थल सम्मिलित है.

यौनिक हिंसा क्या है?

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार, लैंगिक उत्पीड़न एक ऐसा निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से या मंशा के साथ हो) है | अर्थात् :

- शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना
- लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना
- लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणी करना
- अश्लील साहित्य दिखाना
- लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना

यौन आचरण के अन्य उदाहरण :

- अवांछित यौन प्रस्ताव / रोजगार देने या लाभ के लिए यौन व्यवहार की पेशकश
- यौन इशारा / यौन प्रस्ताव के लिए उतेजित करना |
- यौन व्यवहार विचारों वाले वस्तुओं, कार्टून, कैलेंडर, पोस्टर या चित्रों को प्रदर्शित करना,
- अपमानजनक टिप्पणियां बनाना, किसी व्यक्ति के शरीर, ड्रेस या यौन संकेतक चुटकुले करना,
- यौन प्रकृति वाले अश्लील पत्र, नोट्स लिखित रूप से या कंप्यूटर के माध्यम से वितरित करना
- शारीरिक आचरण जैसे अवांछित छुना या आक्रामक होना |
- एक नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद के बाद धमकी देना या यौन उत्पीड़न की धमकी देना |
- अश्लील चुटकुले, मजाक ,टिप्पणी, सीटी, घूरना जो शर्मिंदगी उत्पन्न करती है |
- लिंग आधारित अपमान, अश्लील, अपमानजनक या अन्य यौन सामग्री प्रदर्शित या टिप्पणी करना |
- जबरजस्ती किसी तिथियों के लिए निमंत्रण |
- यौन व्यवहार स्वीकार न करने पर या विफल रहने पर प्रदर्शन मूल्यांकन या पदोन्नति पर प्रतिकूल पर भाव डालना |

समिति के सदस्य

सृजन फाउंडेशन के सेवा नियमों के अंतर्गत महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को लागु एवं प्रभाव में लाये जाने की व्यवस्था की गया है | जिसके क्रियान्वयन के लिए आंतरिक तथा स्थानीय समिति का गठन किया गया है. जो निम्न है:

सृजन फाउंडेशन के आतंरिक समिति के सदस्यों के रूप में

- **पीठासीन अधिकारी :** पूजा |
- **सदस्य :** विकास कुमार / संजीत कुमार
- **बाहरी सदस्य :** शिला जी, स्त्री शक्ति

स्थानीय शिकायत समिति :

- **अध्यक्ष :** पूजा |
- **स्थानीय सदस्य :** पुष्पा शर्मा |
- **2 गैर-सरकारी संगठन सदस्य** : बबिता / जोफा
- **सोशल वेल्फेयर या महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बद्ध अधिकारी :**

शिकायत निवारण प्रक्रिया

आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति की शक्तियाँ :

एक आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अंतर्गतएक सिविल कोर्ट में निहित जैसी शक्ति प्राप्त है |

- व्यक्ति की उपस्थिति शपथ पर प्राप्त करना |
- आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना |
- अन्य कोई भी मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

शिकायत तंत्र / व्यवस्था :

यदि कोई पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करती है उसे लिखित आवेदन पत्र की 06 कॉपी आवश्यक दस्तावेज के साथ जिसमें नाम / पत्ता / गवाहों के नाम के साथ आंतरिक या स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष देना अनिवार्य है | यदि पीड़ित कर्मचारी शिकायत करने में असमर्थ है तो रिश्तेदार, सह कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है.

निवारण प्रक्रिया

आवेदन एवं समय सीमा :

- एक लिखित शिकायत (6 प्रतियों) के साथ सहायक दस्तावेज़ जिसमें गवाहों के नाम एवं पता, घटना की तारीख के 3 महीने के भीतर किया जा सकता है |
- शिकायत प्राप्ति के बाद, शिकायत की 1 कॉपी प्रतिवादी को 7 दिनों के भीतर भेजा जाना है |
- शिकायत प्राप्त होने पर, प्रतिवादी को सम्बंधित शिकायत का जवाब देना आवश्यक है और इसके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज गवाहों के नाम व पते के साथ 10 कार्यदिवसों के भीतर देना आवश्यक है |
- शिकायत प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर पूछताछ पूरा किया जाना है |
- जांच रिपोर्ट पूछताछ के पूरा होने की तारीख से 7 दिन के भीतर जारी की जानी चाहिए |
- आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति को 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट पर कार्यवाही करना है |
- निर्णायक समिति के निर्णय के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अपील किया जा सकता है

कुछ अन्य शिकायतें :

इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न जैसे मामलों का दुरुपयोग नहीं किया जाये | “गलत या दुर्भावनापूर्ण" शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ताओं के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है |

इस कानून के अंतर्गत यदि आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति को पूछताछ के दौरान दी गई जानकारी गलत , जाली या भ्रामक है तो सेवा नियमों के अनुसार संगठन शिकायतकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है |

सृजन फाउंडेशन के कार्य एवं दायित्व :

- सुरक्षित कामकाजी वातावरण प्रदान करना |
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध करने के लिए नीति या चार्टर की घोषणा किया जाना चाहिए
- कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से सम्बंधित सभी जानकारी (यौन कृत्यों लिप्त होने के दंड के परिणाम) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित और आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए |
- आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों के नाम और संपर्क सभी विवरण के साथ घोषित किया जाना चाहिए |
- नियमित अंतराल पर यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना और इसके साथ ही आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए |
- शिकायत करने के लिए समिति के बारे में सुचना का उल्लेख सभी यूनिट कार्यालयों में प्रदर्शन पट पर किया जायेगा, जिसमे समिति के सदस्यों का नाम एवं संपर्क संख्या के साथ ईमेल आई.डी. लिखा होगा ताकि आसानी से शिकायत किया जा सके.
- यदि पीड़ित महिला जिसके साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटना घटित हुई है वह अपराधी के विरुद्ध ,यदि वह वह संबंधित कार्यालय का कर्मचारी नहीं है उसके खिलाफ IPC या अन्य प्रभावी कानून के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकती है |
- पीड़ित महिला को सहायता प्रदान किया जाना चाहिए | यदि वह इस अपराध के सम्बन्ध में IPC या अन्य कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराना चाहती है |
- यौन उत्पीड़न को यौन दुर्व्यवहार के रूप में माना जाना चाहिय और सेवा नियमों के अंतर्गत इसके विरुद्ध कार्यवाई आरंभ किया जाना चाहिय |
- दर्ज किए गए मामलों की संख्या और उनकी निपटारा के विवरण के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना |
- आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिए गए रिपोर्ट पर समय - समय पर निगरानी करना |

दण्ड एवं मुआवजा :

इस अधिनियम के द्वारा यौन उत्पीड़न क़ानून में निम्नलिखित सजा का प्रावधान है | यह एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी पर लगाया जा सकता है |

- निष्काषित किया जाना
- लिखित माफी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई
- प्रतिवादी के वेतनमान से मुआवजे का कटौती पर पीड़ित महिला को दिया जायेगा
- गंभीर मामलों में संस्था क़ानूनी करवाई कर सकती है.

गोपनीयता :

कोई भी व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति से जुड़े किसी भी जानकारी का खुलासा करने से रोकना है, जो प्रगतिशील व्यक्तियों और उत्तरदायी हैं | यदि कोई इस तरह के प्रकटीकरण के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे 5000 रूपये भुगतान किया जायेगा |